दिनांक 24.03.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के द्वारा भवन अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि ऐसे निर्माणाधीन भवन जो नियमानुसार निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त नहीं किये हैं तथा बिना कंपनी के अनुमति पत्र टावर लगाये जा रह है ऐसे भवनों को चिन्हित कर कार्यवाही करें। निर्देशानुसार आज भवन अनुज्ञा शाखा जोन 02 वैशाली नगर कार्यालय के अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर अवैध निर्माण कर रहे श्रीमती अनिता हलधर पति मिथुन हलधर निवासी हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ एलआई–टु 411 के प्रथम तल की छत पर बिना अनुज्ञा के हो रहे निर्माण एयरटेल कम्पनी की सामग्री 13 नग बैटरी, एमएस पट्टियां एवं एमएस एंगल मोहल्लेवासियों के समक्ष जब्त किया गया। भवन के आबंटिती से निगम प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा आवेदिका से उनके भवन का भवन अनुज्ञा से संबंधित दस्तावेज दिखाये जाने के संबंध में मांग की गई तो आवेदिका के द्वारा कोई भी पत्र नहीं दिखाया गया एवं एयरटेल कम्पनी के टावर का अनुमति पत्र भी नहीं दिखाया गया किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने पर नियमानुसार सामग्री जब्त की कार्यवाही की गई। जब्त की गई सामग्री को निगम मुख्यालय के स्टोर में रखा गया है। उपस्थित अधिकारियों ने आवेदिका को समझाईस देते हुए कहा कि भविष्य में बिना भवन अनुज्ञा एवं टावर की अनुमति लिए बगैर कोई भी निर्माण कार्य न करें पुनः आपके द्वारा अवैध तरीके से निर्माण करते पाये जाने पर निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

जनसम्पर्क अधिकारी